

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 12.03.25

रीडर/2025/1181

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

चैलाराम 2 भारताराम 3  
मोलाराम पिसरान सामाराम 4  
धर्मी पत्नि सामाराम 5  
गोमदाराम 6 रगेश पिसरान  
कबाराम 7 भीखो पत्नि कबाराम  
जातियान मेगवाल निवासीयान  
लुणाड़ा पटवार हल्का लुणाड़ा  
तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।

1 मोडाराम पुत्र लाखाराम  
वगैराह जातियान प्रजापत  
निवासी लुणाड़ा तहसील बाटाडु  
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-637/2024

दिनांक- 10/03/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण गौजा लुणाड़ा पटवार क्षेत्र लुणाड़ा तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर के खसरा संख्या कमश 1625/1384, 1632/1385 व 1633/1385 रकबा कमश 4.8540, 1.9416 व 0.6472 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



( वीरमा राम )

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर


क्रमांक :- रीडर/2025/1182 - 1185

दिनांक- 12.03.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी लुणाड़ा तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण चैलाराम पुत्र सामाराम वगैराह जातियान मेगवाल निवासीयान लुणाड़ा पटवार हल्का लुणाड़ा तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण मोडाराम पुत्र लाखाराम वगैराह जातियान प्रजापत निवासी लुणाड़ा तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।



  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर